न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 03 / 2009

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, आबूरोड ।

बनाम

अप्रार्थी

1.श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल निवासी ए–123 रिको कॉलोनी आबूरोड जिला सिरोही।
2.श्रीमती नयना पत्नि श्री संजय अग्रवाल निवासी ए–123 रिको कॉलोनी आबूरोड जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री , सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।

निर्णय **दिनांक 03.05.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.06.2009 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं हमराह प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही एवं प्रवर्तन निरीक्षक आबूरोड द्वारा आबूरोड के रिको कॉलोनी में स्थित मकान नम्बर ए–123 की जॉच करने पहुँचने पर मकान मे 14.2 किलो का घरेलू सिलेण्डर का उपयोग अनाधिकृत रूप से करने से उक्त गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम की एक पक्षीय बहस सुनी गई । प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 24.06.2009 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं हमराह प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही एवं प्रवर्तन निरीक्षक आबूरोड को रिको कॉलोनी आबूरोड के मकान नम्बर ए–123 पर पहुंचने पर मकान में स्थित गाडी गेराज में एक लोहे के पट्टे पर मशीन लगी हुई थी, जिसे एक महिला द्वारा बाहर निकालते हुए पाया गया, जिस पर मौमबिरानों के साथ प्रार्थी के पहुंचने पर उक्त मशीन [illegible] देखने पर यह मशीन कारों एवं वाहनों में गैस भरने वाली मोटर [illegible] महिला से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम नयना प[illegible] के बगीचे की तलाशी लेने पर एक [illegible] सिलेण्डर [illegible] गया, जिसको देखने पर यह घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन [illegible] अप्रार्थी से उक्त [illegible] सिलेण्डर के भण्डारण एवं मोटर के बारे में पूछताछ [illegible] तो अप्रार्थी द्वारा कोई [illegible] संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इससे पूर्व भी दिनांक 17.09.2006 को भी अप्रार्थी के पास से 51 गैस सिलेण्डर व तीन अवैध गैस भरने की मशीन जब्त की गई थी जिसकी एफ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आई.आर. पुलिस कोतवाली आबूरोड में कराई गई एवं दिनांक 13.04.2009 को तत्कालीन जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान 26 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं वाहनों में गैस भरने की मशीन जब्त सरकार की गई थी एवं अप्रार्थी के विरूद्ध पुलिस कोतवाली आबूरोड में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। गेराज की तलाशी लेने पर गैस सिलेण्डर तथा गैस भरने की मशीन पाए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गेराज में गाडियों में घरेलू गैस सिलेण्डरों से गैस भरने का कार्य किया जाता है, जो स्पष्टतया एल.पी.जी. गैस आर्डर के प्रावधानों का उल्लघंन पाया जाने पर टीम द्वारा उपरोक्त वर्णित गैस सिलेण्डर तथा गैस भरने की मशीन को जब्त सरकार किया गया है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो का उपयोग अनाधिकृत रूप से गाडियों में गैस भरने का कार्य किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। पूर्व में उनको कई मौके दिए जा चुके है। अतः उनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है।

मैने प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो का उपयोग अनाधिकृत रूप से गाडियों में गैस सिलेण्डरों से गैस भरने का कार्य किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है ।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक मोटर को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर एवं गैस भरने की मशीन को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिये गये उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर में भरी हुई गैस को उपभोक्ताओं को वितरण करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावे एवं उक्त गैस सिलेण्ड़र को सम्बन्धित गैस कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द कर प्राप्त राशि उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner